संख्या-02/2018/210/53-2-18-2(44)/15

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक- 23 फरवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग के पत्रांक-348/दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश सामान्य(219)/2017-18, दिनांक-31 जुलाई, 2017 व पत्रांक-945/दुग्ध-4/नियो0/तक0निवेश-सामान्य/2018-19, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी इनपुट योजना चलाये जाने हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 237.00 लाख (रू0 दो करोड़ सैंतीस लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-764/53-2-17-2(44)/15, दिनांक 19 जून, 2017 एवं संशोधित पत्र संख्या-973/53-2-17-2(44)/15, दिनांक 10 जुलाई, 2017 द्वारा रू0 98.75 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा चुकी है। अत: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 237.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 138.25 लाख (रू0 एक करोड अडतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में व्यय हेतु **संलग्नक** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में किसी भी स्तर पर नहीं रखा जायेगा।

(2) धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी। किसी अन्य मद/ प्रयोजन हेतु इसका व्यय अनुमन्य न होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जोयेगी।

(5) योजनान्तर्गत दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(6) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(7) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

(9) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बहीखाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

(10) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक- **'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0301-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू0ओ0-ई-2-204/2018, दिनांक 23 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-02/2018/210(1)/53-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0शासन ।
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in